

प्ररूप अ. डि. संख्या - 11

अभिन्यास डिज़ाइन के उसी नाम पर किसी पश्चातवर्ती स्वत्वधारी के रूप में अन्तरिति के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और अंतरिती द्वारा संयुक्त अनुरोध
(धारा 23 नियम 47)

नियम 47 के अधीन हम¹ ----- और² -----अनुरोध करते हैं कि-----स्थान⁵ पर जो ----- के रूप ⁴में कारबार चला रहे हैं, के नाम की³ -----से ⁶ -----के-----आकर पर⁷ अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्टर में अभिन्यास डिज़ाइन संख्या -----के स्वत्वधारी के रूप में प्रविष्टि की जाए -----जिसकी मूल और प्रमाणित प्रतियाँ इसके साथ संलग्न हैं ।

उस कारबार की गुडविल के संबंध से भिन्न अभिन्यास डिज़ाइन का समनुदेशन ⁸ नहीं किया गया था जिसमें अभिन्यास डिज़ाइन ⁸ का उपयोग किया जा रहा/गया था (और इसके साथ समनुदेशन को विज्ञापित करने के लिए रजिस्ट्रार के निदेशों एक प्रति, अनुपालन करने वाले प्रत्येक विज्ञापन की एक प्रति और उनसे युक्त किसी भी विज्ञापन के जारी होने की तारीख का विवरण) भेजा जा रहा है।

हम घोषणा करते हैं कि इसमें कथित तथ्य और विषय हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं ।

आज -----तारीख -----माह -----20

(आवेदक के हस्ताक्षर)

सेवा में,

रजिस्ट्रार अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन ।

पर अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री का -----
कार्यालय ।

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या अन्य समनुदेशक या पारेषक का पूरा नाम, पता, और राष्ट्रीयता ।
2. अंतरिती का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
3. अंतरिती का नाम ।
4. अंतरिती का वर्णन (आजीविका और व्यवसाय) ।
5. अंतरिती का भारत में कारबार के मुख्य स्थान, यदि कोई हो, का पता । यदि भारत में कारबार का कोई स्थान नहीं है तो भारत में निवास स्थान का पता बताएँ । यदि भारत में निवास कोई स्थान है ही नहीं तो बिदेश में अपने गृह देश का पता और भारत में तामील का पता बताएँ ।
6. स्वामित्व के अधिग्रहण की तारीख
7. समनुदेशन की लिखत या पारेषण, यदि कोई हो, या मामले के विवरण की पूर्ण विशिष्टियों का उल्लेख करें ।
8. जो शब्द लागू न हो काट दें ।
9. अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन के समुचित रजिस्ट्री कार्यालय के स्थान के नाम का उल्लेख करें। नियम -4 देखें ।